<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना साइबर क्राइम, जनपद झाँसी</u>

दिनांक -13.05.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में ऑनलाइन फ्रॉड के पीड़ित को 3,15,961/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि साइबर सम्बन्धी बढ़ते अपराधों की रोकथाम एवं बचाव हेतु श्रीमान पुलिस महानिदेशक, साइबर उ०प्र० लखनऊ श्री विनोद के. सिंह के निर्देशानुसार तथा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम जनपद झाँसी श्रीमती प्रीति सिंह एवं सहायक पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम श्रीमती अरीबा नोमान के निकट पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम जनपद झाँसी द्वारा पीड़ित की ठगी गयी धनराशि वापस कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है।

<u>संक्षिप्त विवरणः</u>-

थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-96/2025 धारा 66(D) आई0टी0 एक्ट के वादी श्री मोहनलाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी 1395, सतीश नगर, सीपरी बाजार जनपद झाँसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटना कारित हुई थी, जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से उनके बैंक खाते से धनराशि विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दी गयी थी।

जनपदीय साइबर सेल/थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण करते हुए संबंधित बैंकों एवं एजेंसियों से त्वरित समन्वय स्थापित किया गया। प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप होल्ड करायी गयी धनराशि में से आज दिनांक 13.05.2026 को **3,15,961/-** रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वादी के खाते में वापस करायी गयी।

सोशल मीडिया सेल,
झाँसी